परिशिष्ट : ए

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

सत्र वाद संख्या : 250/2016

सी0आई0एस0 संख्या–250/2016

सी0एन0आर0 संख्या–BRVA01-000443-2016

निर्णय की तिथि–04.05.2026

साधारण पंजी वाद संख्या–1837/2012

राघोपुर थाना कांड सं0–49/2012

अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 325, 337, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता

सूचक	श्री जनक राय।
अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक	श्री श्याम बाबू राय।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री सुरेन्द्र कुमार राय।
अभियुक्तगण	1–गोपाल राय उम्र–34 वर्ष पेसर–विजय राय 2–मन्टु राय उम्र–35 वर्ष पेसर–विजय राय 3–वकील राय उम्र–40 वर्ष पेसर–शम्भू राय 4–रामू राय उम्र–41 वर्ष पेसर–झूनफन राय 5–रूदल राय उम्र–32 वर्ष पेसर–विजय राय एवं 6–विजय राय उम्र–55 वर्ष पेसर–झूनफन राय सभी साकिन–रामपुर, थाना–राघोपुर, जिला–वैशाली।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री प्रमोद राय।

h
4.5.26

अपराध की घटना तिथि	05.05.2012
प्राथमिकी की तिथि	05.05.2012 अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 325, 337, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
आरोप पत्र की तिथि	28.05.2013 अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 337, 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता
संज्ञान की तिथि	26.06.2013 अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 337, 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता
आरोप गठन की तिथि	30.06.2016 अंतर्गत धारा–307/149, 341/149, 323/149, 504/149

	भारतीय दण्ड संहिता
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	29.07.2016
निर्णय पर नियत की तिथि	04.05.2026
निर्णय की तिथि	04.05.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	-

परिशिष्ट : बी

अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त का कमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	गेपाल राय।
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	11.05.2012
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–307/149, 341/149, 323/149, 504/149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

अभियुक्त का कमांक	A-2
अभियुक्त का नाम	मन्टु राय
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	11.05.2012
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–307/149, 341/149, 323/149, 504/149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

4.5.26

अभियुक्त का कमांक	A-3
अभियुक्त का नाम	वकील राय
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	11.05.2012
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–307/149, 341/149, 323/149, 504/149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के	-

अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	

अभियुक्त का कमांक	A-4
अभियुक्त का नाम	रामु राय
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	11.05.2012
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–307 / 149, 341 / 149, 323 / 149, 504 / 149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

अभियुक्त का कमांक	A-5
अभियुक्त का नाम	रूदल राय
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	11.05.2012
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–307 / 149, 341 / 149, 323 / 149, 504 / 149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

अभियुक्त का कमांक	A-6
अभियुक्त का नाम	विजय राय
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	
जमानत पर मुक्त की तिथि	11.05.2012
आरोप गठन की धारा	अंतर्गत धारा–307 / 149, 341 / 149, 323 / 149, 504 / 149 भारतीय दण्ड संहिता
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	-

4.5.26

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

पी0डब्लू0–01	धर्मजीत कुमार	साक्षी
पी0डब्लू0–02	जनक राय	सूचक
पी0डब्लू0–03	पंचू राय	साक्षी (सूचक का बेटा)

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–पी–01 / पी0 डब्लु0 02	संपूर्ण लिखित आवेदन।

ख–बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

4.5.26

घ–वस्तु प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

उपस्थित : **श्री हर्षित सिंह,**
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में छः अभियुक्तों गोपाल राय, मन्टु राय, वकील राय, रामू राय, रूदल राय एवं विजय राय के विरूद्व संज्ञानोंपरान्त वाद विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया। सभी छः अभियुक्तों क्रमशः गोपाल राय, मन्टु राय, वकील राय, रामू राय, रूदल राय एवं विजय राय को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307/149, 341/149, 323/149, 504/149 से आरोपित किया गया है। अभियुक्तों को आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया है, जिससे अभियुक्तों ने इंकार किया तथा वाद विचारण की मांग किए।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–05.05.2012 को सुबह करीब 07:00 बजे सूचक अपने घर से खाना खाकर पटना मजदूरी करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच सूचक का पट्टीदार मन्टु राय, गोपाल राय, रामु राय एवं विजय राय सभी सूचक के दरवाजे पर आये और गाली–गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर मन्टु राय ने सूचक को लप्पड़–थप्पड़ से मारा तथा रामू राय ने सूचक की पत्नी को मारा। झगड़ा का कारण है कि विजय राय के यहां सूचक का लड़का पंचू राय के मजदूरी का 10 हजार रूपया बाकी है, जिसको मांगने पर बराबर बोलते हैं कि आज कल में दे देंगे लेकिन नहीं दहे रहे हैं। सूचक थाना में केस करने जा रहा था तो गांव के लोग बोले कि पंचायत कर पैसा दिलवा देते हैं केस मत करो। फिर सूचक घर वापस आ गया। दस दिन में विजय राय सूचक को यह कहकर बुलाने आया कि चलो हम तुम्हारे पैसा का पंचायती पंचू राय के दरवाजे पर कर देते है। इस बात पर सूचक अपनी पत्नी भोली देवी एवं उसका लड़का पंचू राय के दरवाजे पर वहां पर पहले से गोपाल राय, वकील राय, रामु राय, रूदल राय, विजय राय एवं मन्टु राय सभी मौजूद थे। विजय राय बोला कि तुम पैसा लोगे कि मार खाओगे। इस पर सूचक बोला कि इस तरह से क्यों बोल रहे हो। इतना सुनते के साथ विजय राय बोला कि साले को जान से मार दो। इस पर सभी अपने हाथ में लिए लाठी–डंडा एवं ईट पत्थर सूचक को उसकी पत्नी भोली देवी एवं लड़का पन्चु रास से मारपीट करना शुरू कर दिया तथा मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बचाने धर्मजीत राय आया तो ये लोग उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिये। मन्टु राय सूचक को तथा गोपाल राय सूचक के बेटा पंचू राय को जान मारने के लिए सीने पर चढ़कर गरासा से काटना चाहा। हल्ला पर काफी लोग जुट गये तब अभियुक्तगण वहां से भाग गये।

4.5.26

3. सूचक के लिखित आवेदन पर दर्ज राघोपुर थाना कांड सं0–49/2012 दिनांक–05.05.2012 अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 325, 337, 307, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गई, पश्चात् विवेचना प्रारंभ की गई। वाद विवेचनोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा छः अभियुक्तों क्रमशः गोपाल राय, मन्टु राय, वकील राय, रामू राय, रूदल राय एवं विजय राय के विरूद्व आरोप–पत्र सं0–53/2013 दिनांक–28.05.2013 अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 337, 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत समर्पित किया गया। दिनांक–26.06.2013 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–दशम्, वैशाली, हाजीपुर द्वारा उक्त वाद को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर को दिनांक–26.04.2016 को दौरा सुपुर्द किया गया। दिनांक–30.06.2016 को छः अभियुक्तों क्रमशः गोपाल राय, मन्टु राय, वकील राय, रामू राय, रूदल राय एवं विजय राय के विरूद्व अंतर्गत धारा–307/149, 341/149, 323/149, 504/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया तथा अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपने वाद के समर्थन में **कुल 03 (तीन)** अभियोजन साक्षी का परीक्षण कराया गया है जो निम्नलिखित हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या–01 धर्मजीत कुमार (साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या–02 जनक राय (सूचक)
अभियोजन साक्षी संख्या–03 पंचू राय साक्षी (सूचक का बेटा)

5. अभियोजन की ओर से वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार हैः–

प्रदर्श–पी–01 : संपूर्ण लिखित आवेदन।

6. बचाव पक्ष की ओर से अपने प्रतिरक्षा में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.5.26

7. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के क्रम में समर्पित किया है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 धर्मजीत कुमार ने प्रति–परीक्षण में साक्ष्य दिया है कि मारपीट में फुट–फाट नहीं हुआ था। खून भी नहीं बहा था। कौन किसको मारा नहीं देखा, क्योंकि काफी भीड़ थी। आगे साक्ष्य दिये है कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे। दोनों पक्ष में राजी–खुशी से मुकदमा सुलह हो गया है। सुलहनामा एवं

अनुमति का आवेदन जमा हो गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 जनक राय (सूचक) ने प्रति–परीक्षण में साक्ष्य दिया है कि मुकदमा में राजी–खुशी पूर्वक सुलह कर लिये है। कौन किसको मारा यह नहीं देख पाया था। फरसा नहीं चला था। किसी को गंभीर जख्म नहीं हुआ था। आगे साक्ष्य दिये है कि मुदालह इनके चचेरा भाई है। अब वह केस नहीं लड़ना चाहते है और आवेदन किसने लिखा था नहीं कहा सकते हैं। अभियोजन साक्षी संख्या–3 पंचू राय (सूचक का बेटा) ने प्रति–परीक्षण में साक्ष्य दिया है कि विजय राय वगैरह इनके अपने पटीदार हैं। इनके यहां मजदूरी का बकाया रूपया इन्हें मिल गया है। आगे साक्ष्य दिये है कि हल्का धक्का–मुक्की हुआ था, जिसमें किसी को कोई जख्म नहीं हुआ था। किसको कैसे चोट लगी यह नहीं देखे। आगे साक्ष्य दिये है कि यह मुकदमा सुलह हो गया है। अब मुदालहगण से कोई विवाद नहीं है। मुकदमा को समाप्त कर दिया जाए। घटना के कम में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आयी थी। दूसरे के बहकावे में इनके पिता ने यह केस कर दिया था।

ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

8. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक ने अपने बहस में कहा है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्ध किए जाने हेतु पर्याप्त है।

9. सभी छः अभियुक्तों का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351/धारा–313 दं0प्र0स0 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

10. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को सभी अभियुक्तों के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल हुए हैं ?

<u>विश्लेषण</u>

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

4.5.26

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 धर्मजीत कुमार** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि मैं सूचक जनक राय एवं मुदालह लोगों को जानता हूँ। कंडिका–2 में साक्ष्य दिया है कि आज से सवा चार साल पहले की 02.30 बजे दिन की घटना है। पंचायत हो रही थी उसमें झगड़ा हो गया। मजदूरी के पैसा को लेकर पंचायत हो रही थी। कंडिका–3 में साक्ष्य दिया है कि विजय राय, गोपाल राय, मुनटुन, रूदल, वकील एवं रामू लोग लाठी–डंडा से जनक राय, पांचू राय एवं इनकी पत्नी के साथ मारपीट किये थे। जनक राय की पत्नी भोईली देवी थी। मारपीट कर जख्मी कर दिये थे। कंडिका–04 में साक्ष्य दिये है कि पुलिस के यहां बयान दिया था, जो

आज न्यायालय में कहा हूँ। कंडिका–05 में साक्ष्य दिये है कि गवाह ने मुदालह लोगों को पहचानने का दावा किया।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **मारपीट में फुट–फाट नहीं हुआ था। खून भी नहीं बहा था। कौन किसको मारा नहीं देखा, क्योंकि काफी भीड़ थी।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **दोनों पक्ष में राजी–खुशी से मुकदमा सुलह हो गया है। सुलहनामा एवं अनुमति का आवेदन जमा हो गया है।**

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–02 जनक राय** (सूचक) ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि मैंने ही यह केस किया है। घटना पांच वर्ष पहले की है। पटना जाने के क्रम में मुझे सुबह मारपीट नहीं किया गया था। कंडिका–02 में साक्ष्य दिये है कि मेरे बोले जाने पर थाना पर रिपोर्ट दर्ज की गयी थी और उस पर अपना अंगूठा का निशान बनाया था। स्वयं कहा कि हमलोग आपस में मिलकर मुकदमा को समझौता कर लिया है। मुदालह भी मेरा चचेरा भाई है। पैसे की लेन–देन को लेकर झगड़ा हुआ था। मुझे अब पैसा मिल गया है। अभियोजन पक्ष के आग्रह पर इस साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया है तथा साक्षी ने सभी अभियुक्तगण को पहचानने का दावा किया है।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **मुकदमा में राजी–खुशी पूर्वक सुलह कर लिये है। कौन किसको मारा यह नहीं देख पाया था। फरसा नहीं चला था। किसी को गंभीर जख्म नहीं हुआ था। आगे साक्ष्य दिये है कि मुदालह इनके चचेरा भाई है। अब वह केस नहीं लड़ना चाहते है।** कंडिका 07 में साक्ष्य दिये है कि **आवेदन किसने लिखा था नहीं कहा सकते हैं।**

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–03 पंचू राय** (सूचक के बेटा) ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के कंडिका–1 में साक्ष्य दिया है कि लगभग 7–8 साल पहले सुबह 07.00 बजे की घटना है, उस समय विजय राय, मंटु राय, गोपाल राय, रामू राय, वकिल राय ये लोग जनक राय को मारपीट किये थे। मुदालह लोगों ने लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट किया था। रामू राय ने जनक राय की पत्नी को भी मारा था। विजय राय मेरे चाचा हैं। मजदूरी का मेरा 10000 रूपया विजय राय के पास बाकी था जिसे वे नहीं देते थे जिसके लिए पंचायती हुआ, पंच के लोगों ने कहा था कि रूपया दिलवा दिया जाएगा। कंडिका–02 में साक्ष्य दिये है कि लगभग 2.30 बजे दिन में मुझे विजय राय ने बुलाकर ले गये कि अन्नु राय के दरवाजे पर पंचायत हो रहा है वहां वकिल राय, रामु राय, रूदल राय, विजय राय, मंटू राय ये लोग उपस्थित थे, इन लोगों ने कहा कि पैसे मांगने पर मार

4.5.26

खाओगे और हमलोगों को मारपीट करने लगे, बचाने के लिए धर्मवीर राय एवं एक अन्य व्यक्ति को भी मुदालहलोग मारपीट किये, गोपाल राय ने जान मारने के नीयत से गंडासा से मारा था। कंडिका–03 में साक्ष्य दिये है कि मेरे पिता जनक राय ने थाना में केश किया था। कंडिका–04 में साक्ष्य दिये है कि मुदालह को पहचानता हूँ।

प्रति–परीक्षण (बचाव पक्ष) में साक्षी ने कंडिका–5 में साक्ष्य दिया है कि **विजय राय बगैरह मेरे अपने पटीदार हैं। इनके यहां मजदूरी का बकाया रूपया मुझे मिल गया है।** कंडिका–06 में साक्ष्य दिये है कि **हल्का धक्का मुक्की हुआ था, जिसमें किसी को कोई जख्म नहीं हुआ था।** कंडिका–07 में साक्ष्य दिये है कि **किसको कैसे चोट लगी मैंने नहीं देखा।** कंडिका–08 में साक्ष्य दिये है कि **यह मुकदमा सुलह हो गया है। अब मुदालहगण से कोई विवाद नहीं है। मुकदमा को समाप्त कर दिया जाए।** कंडिका–09 में साक्ष्य दिये है कि मेरी मां इस केस में गवाह है, उनकी तबियत खराब है वह गवाह देने हेतु आने लायक नहीं है। कंडिका–10 में साक्ष्य दिये है कि **घटना के कम में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आयी थी।** कंडिका–11 में साक्ष्य दिये है कि **दूसरे के बहकावे में मेरे पिता जी ने यह केस कर दिया था।**

14. **अभियोजन साक्षी संख्या–02 जनक राय, जो सूचक है,** ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–6 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **मुकदमा में राजी–खुशी पूर्वक सुलह कर लिये है। कौन किसको मारा यह नहीं देख पाया था। फरसा नहीं चला था। किसी को गंभीर जख्म नहीं हुआ था। आगे साक्ष्य दिये है कि मुदालह इनके चचेरा भाई है। अब वह केस नहीं लड़ना चाहते है।** कंडिका 07 में साक्ष्य दिये है कि **आवेदन किसने लिखा था नहीं कहा सकते हैं।**

अभियोजन साक्षी संख्या–01 धर्मजीत कुमार ने प्रति–परीक्षण के कंडिका–5 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **मारपीट में फुट–फाट नहीं हुआ था। खून भी नहीं बहा था। कौन किसको मारा नहीं देखा, क्योंकि काफी भीड़ थी।** कंडिका–6 में साक्ष्य दिया है कि **कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे।** कंडिका–7 में साक्ष्य दिया है कि **दोनों पक्ष में राजी–खुशी से मुकदमा सुलह हो गया है। सुलहनामा एवं अनुमति का आवेदन जमा हो गया है।**

4.5.26

अभियोजन साक्षी संख्या–3 पंचू राय (सूचक के बेटा) ने प्रति–परीक्षण के कंडिका 05 में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि **विजय राय बगैरह मेरे अपने पटीदार हैं। इनके यहां मजदूरी का बकाया रूपया मुझे मिल गया है।** कंडिका–06 में साक्ष्य दिये है कि **हल्का धक्का मुक्की हुआ था, जिसमें किसी को कोई जख्म नहीं हुआ था।** कंडिका–07 में साक्ष्य दिये है कि **किसको कैसे चोट लगी मैंने नहीं देखा।** कंडिका–08 में साक्ष्य दिये है कि **यह मुकदमा सुलह हो गया है। अब मुदालहगण से कोई विवाद नहीं है। मुकदमा को समाप्त कर दिया जाए।** कंडिका–10 में साक्ष्य दिये है कि

घटना के कम में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आयी थी। कंडिका–11 में साक्ष्य दिये है कि **दूसरे के बहकावे में मेरे पिता जी ने यह केस कर दिया था।**

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या–1 धर्मजीत कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–02 जनक राय (सूचक) एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 पंचू राय (सूचक का बेटा) ने मुख्य परीक्षण में यद्यपि अभियोजन कथानक का आंशिक रूप से समर्थन किया है परंतु प्रतिपरीक्षण में समूचे साक्ष्य को ही मिटा दिया है तथा कथित घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता को साबित नहीं किया है।

यहां तक कि अभियोजन साक्षियों ने साक्ष्य दिया है कि किसने किसको मारा ये लोग नहीं देखे और किसी को गंभीर जख्म कारित नहीं हुई।

ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

16. अतः साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन, परिशीलन तथा निष्कर्षण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

17. अतएव उपरोक्त विचारणीय सभी छः अभियुक्तगण क्रमशः गोपाल राय, मन्टु राय, वकील राय, रामू राय, रूदल राय एवं विजय राय को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307/149, 341/149, 323/149, 504/149 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में, निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि सभी अभियुक्तगण जमानत पर है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण तथा उनके जमानतदारों के बंध–पत्र द0प्र0सं0 की धारा 437(क) के अंतर्गत निर्णय सुनाए जाने की तिथि से छः माह तक प्रवृत रहेंगे, तत्पश्चात वे बंध–पत्र के उत्तरदायित्व से उन्मुक्त होंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)	**लेखापित**
Harshit Singh	Harshit Singh
(हर्षित सिंह)	**(हर्षित सिंह)**
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।	वैशाली, हाजीपुर।
04.05.2026	**04.05.2026**